उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-145/2016/1419/92-2-16-140जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 11 अगस्त,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद आगरा में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना में बरती गयी लापरवाही, विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं स्टॉक टी0एण्डपी0 में की गयी अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मुनेश पाल सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2016/2229/92-2-16-140जांच/2016 दिनांक 02.01.2017 द्वारा अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ की जॉच आख्या पत्र दिनांक 27-05-2017 एवं दिनांक 25.07.2017 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री मुनेश पाल सिंह पर अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई भी आरोप स्थापित नही पाये गये है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 द्वारा श्री मुनेश पाल सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-145/2016/1419(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री मुनेश पाल सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in